मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना, जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना, 02 वर्ष की बालिकाओं को सम्पूर्ण टीकाकरण करना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, बालिका शिशु मृत्यु दर कम करना, बालिका शिक्षा को बढावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, कुल प्रजनन दर में कमी लाने एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाना है, जिसके परिणामस्वरूप बालिकाओं द्वारा परिवार तथा समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

2. निधि का संवितरण

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार की योजना है।

3. देय राशि

समाज कल्याण विभाग अंतर्गत कन्या शिशु के जन्म पर शिशु के माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में 2000/- दी जाती तथा कन्या शिशु के 01 वर्ष पूरे होने तथा आधार पंजीकरण किये जाने के बाद 1000/- रू0 उक्त खाते में पुन: दिया जाता है। यह लाभ दो कन्या शिशु तक ही देय होगा। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समाज कल्याण निदेशालय द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से उपलब्ध कराये गयी सूची एवं बैंक खाते में सीधे Parent – Child Account के माध्यम से NEFT/RTGS से राशि का हस्तांतरण किया जाता है।

4. पात्रता

0-2 वर्ष तक के कन्या शिशु।

4. प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर जमा कर योजना का लाभ ले सकेंगे।

5. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

महिला विकास निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है।

6. अनुश्रवण की प्रक्रिया

जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक/जिला बाल संरक्षण ईकाई/जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठकों में समीक्षा एवं मूल्यांकन की जाती है। राज्य स्तर पर आयोजित मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा बैठकों में महिला विकास निगम/विभाग द्वारा योजनाओं की समीक्षा की जाती है। समेकित एम0आई0एस0 प्रणाली के अतिरिक्त थर्ड पार्टी द्वारा समय-समय पर संज्ञात मूल्यांकन तथा निगम के पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

7. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।